



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,  
नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

वेबसाइट: [www.cercind.gov.in](http://www.cercind.gov.in)

सत्यमेव जयते

याचिका सं.347/टीएल/2024

दिनांक: 4.12.2024

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

टुमकुर-॥ आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, दूसरी मंजिल, नोवस टावर, प्लॉट नंबर 18, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015, हरियाणा द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "राजस्थान आरईजेड पीएच-IV (भाग-2: 5.5 जीडब्ल्यू)(जैसलमेर/बाड़मेर कॉम्प्लैक्स) भाग घ से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15, 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	<p>ब्यावर-मंदसौर पीएस 765 केवी डी/सी लाइन के साथ प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्यावर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर -2 नंबर</li> <li>• मंदसौर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर -2 नंबर</li> <li>• ब्यावर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट -2 नंबर</li> <li>• मंदसौर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट -2 नंबर</li> <li>• 765/400केवी ब्यावर एस/एस पर स्पेयर रिएक्टर (1-पीएच, 1x80 एमवीएआर) यूनिट</li> </ul>	एसपीवी अधिग्रहण से 24मास
2.	<p>ब्यावर एस/एस और मंदसौर एस/एस प्रत्येक पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 765केवी लाइन बे -4 नंबर (ब्यावर एस/एस और मंदसौर पीएस प्रत्येक पर 2 नंबर)</li> </ul>	

### नोट:

- (i) मंदसौर पीएस के विकासकर्ता को स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ मंदसौर एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाना होगा।
  - (ii) ब्यावर एस/एस के विकासकर्ता को स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ ब्यावर एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाना होगा।
  - (iii) स्विचबल लाइन रिएक्टरों को एनजीआर वाईपास व्यवस्था के साथ कियान्वित किया जाएगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 18.10.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
  - रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 347/टीएल/2024 में दिनांक 3.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
  - टुमकुर-॥ आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.grptl.com](http://www.grptl.com) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
  - नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 13.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - आयोग द्वारा दिनांक 16.12.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव